(051-314) WK 08

20 MONDAY • FEBRUARY

मातुलेय (Avunculate)

जनजातीय समाजों में मातुलेय नातेदारी की एक विशेष रीति है जिसका सम्बन्ध मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था से है। यह रीति एक ऐसा प्रचलन को स्पष्ट करती है जिसमें बच्चों का अपने पिता की अपेक्षा मामा से अधिक सम्बन्ध होता है। जिन समाजों में मातुलेय का प्रचलन है, वहाँ बच्चों से यह आशा की जाती है कि वे पिता अथवा किसी भी दूसरे नातेदार की तुलना में अपने मामा का सबसे अधिक आदर करें, मामा के प्रति अधिक से अधिक उत्तरदायित्वों को पूरा करें तथा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य मामा की अनुमति के बिना न करें। इस रीति के अन्तर्गत पारिवारिक विषयों में मामा के अधिकार को ही प्रमुखता दी जाती है। ट्रोबियण्ड द्वीप की जनजातियों, होपी और पुनी आदि जनजातियाँ इसके उदाहरण हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मातेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत मातुलेय रीति का सम्बन्ध मातृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम है। आरम्भ में जो जनजातियाँ बहुपति विवाही थीं, उनमें बच्चे के वास्तविक पिता को जान सकना बहुत कठिन था। इस स्थिति में बच्चे के शिक्षण और उत्तराधिकार के लिए माता के भाई (मामा) को ही सबसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति समझा गया। यह सच है कि आज कोमांचे तथा थोंगा जैसी पितृसत्तात्मक जनजातियों में भी मातुलेय रीति का प्रचलन है लेकिन ऐसे प्रचलन को एक प्राचीन परम्परा की निरन्तरता के दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है।

→ पितृ-भगिनी अधिकार (Amitate) → जिस प्रकार मातृसत्तात्मक परिवार में मामा का विशेष अधिकार होता है उसी प्रकार अनेक पितृसत्तात्मक परिवारों में बुआ

अर्थात पिता की बहिन को विशेष महत्व और अधिकार देने का प्रचलन पाया जाता है। इसी रीति को हम पितृ-भगिनी अधिकार कहते हैं। उदाहरण के लिए बैंक्स द्वीप में एक व्यक्ति अपनी माँ की अपेक्षा बुआ का कहीं ज्यादा आदर करता है, तथा बुआ की सम्पत्ति का इच्छानुसार उपयोग करने की भी इसी स्वतंत्रता होती है। बुआ को ही अपने भाई की सन्तानों के लिए जीवन साथी का चुनाव करने का अधिकार होता है। दक्षिण अफ्रीका की अनेक जनजातियों में बच्चे बहुत कम आयु से ही अपनी बुआ के साथ रहना आरम्भ कर देते हैं और वहीं अपनी संस्कृति का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। टोडा जनजाति में बुआ ही बच्चे का नामकरण करती है।

पितृ भगिनी अधिकार की रीति को दो प्रमुख कारणों के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। बैंपल तथा कुन का मत है कि इस रीति का प्रचलन इस कारण हुआ कि जिन रक्त सम्बन्धियों से विवाह के बाद सामाजिक सम्बन्ध दुर्बल पड़ जाने की सम्भावना होती है, उन्हें इस प्रथा के द्वारा स्थायी बनाये रखा जाये।

मजूमदार ने इस रीति को मातृ-सत्तात्मक व्यवस्था के ही एक उप-लक्षण के रूप में स्वीकार किया है। इसका तात्पर्य है कि मातृ-सत्तात्मक परिवारों से जब पितृ-सत्तात्मक परिवार व्यवस्था का विकास हुआ तब स्त्रियों की सत्ता को मान्यता देने के बाद भी यह सत्ता-मातृ-पक्ष से सम्बन्धित न रहकर पितृ-पक्ष से सम्बन्धित हो गयी।

सह-प्रसविता या सहकृती (Couvade)→

जातेदारी व्यवस्था से सम्बन्धित सहकृती एक विशेष रीति है जिसका सम्बन्ध गर्भ-काल तथा प्रसव के समय से है। सहकृविता से मिलती-जुलती रीतियाँ अनेक जनजातियों में पायी जाती हैं लेकिन खासी जनजाति में यह बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।

इस रीति के अनुसार पत्नी के गर्भ-काल तथा प्रसव के समय पति को उन सभी कष्टों का प्रदर्शन करना पड़ता है जैसे कुछ इस अवधि में उसकी पत्नी महसूस करती है। उदाहरण के लिए पति को भी अपनी गर्भवती पत्नी के समान ही भोजन करना होता है, कुछ अनुभव करने पड़ते हैं तथा उन सभी निषेधों के अन्तर्गत रहना पड़ता है जिनकी एक गर्भवती स्त्री से आशा की जाती है। खासी जनजाति में बच्चे का जन्म होने तक जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री कपड़े धोने तथा नदी के पार करने का काम नहीं करती उसी प्रकार पति भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। सहकष्टिता की यह रीति इस सीमा तक पायी जाती है कि जब प्रसव के समय पत्नी कष्ट के कारण रोने चिल्लाने लगती है तब पति को भी उसी प्रकार चीखना-चिल्लाना पड़ता है। बच्चे के जन्म के पश्चात भी निश्चित दिनों तक पति को प्रसूता स्त्री के साथ ही कमरे में रहना पड़ता है तथा उस पर भोजन और स्पर्श सम्बन्धी वे सभी नियम लागू होते हैं जो प्रसवा के लिए निर्धारित हैं।

मानवशास्त्रियों ने अनेक प्रकार्यों के आधार पर इसकी उपयोगिता को स्पष्ट किया है:-

(I) अनेक मानवशास्त्रियों का विचार है कि नातेदारी की इस रीति का आरम्भ पत्नी के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए हुआ। मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब एक स्त्री अपने पति को गर्भ-काल से सम्बन्धित निषेधों का पालन करते हुए देखती है तो उसे कष्टों का अधिकार अनुभव नहीं होता।

(II) मैलिनॉस्की का विचार है कि इस रीति के द्वारा एक पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अपने प्रेम और त्याग को स्पष्ट करता है जिनके फलस्वरूप पारिवारिक सम्बन्ध अधिक दृढ़ हो जाते हैं।

(III) फ्रेजर का कथन है कि जनजातियों में जादू-टोने सम्बन्धी विश्वासों की प्रधानता होने से भी सह-प्रसविता जैसी रीति को प्रोत्साहन मिला। जनजातियों में बच्चे का जन्म

होने तक माता और पिता दोनों को ही अनेक निषेधों का पालन इसलिए करना पड़ता है जिससे उनमें से किसी पर भी जादू-टोने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

(IV) एस. सी. दुबे का मत है कि सह-प्रसविता की रीति का कारण मूल रूप से सामाजिक आधार पर बच्चे का पितृत्व ग्रहण करना है। अनेक जनजातियों में (मुख्यतः यदि वह बहुपति-विवाही हो) बच्चे के वास्तविक पिता को ज्ञात कर सकना बहुत कठिन होता है। ऐसी दशा में जो पुरुष पत्नी के साथ गर्भ-काल के निषेधों का पालन करता है, उसी को सामाजिक रूप से जन्म लेने वाले बच्चे का पिता मान लिया जाता है।

(V) यह भी सम्भव है कि सह-प्रसविता की रीति का सम्बन्ध मातृसत्तात्मक व्यवस्था से रहा हो। मातृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की शक्ति और अधिकार अधिक होने के कारण पति का यह प्रयास रहता होगा कि वह अपनी पत्नी के समान ही कुछ अनुभव करके उसकी अधिक से अधिक सहानुभूति प्राप्त कर सके।